

मत्स्य निदेशालय

उत्तर प्रदेश

दिनांक: 05/09/2024

पत्रांक- /स्था०शा०/1-5(100)/2010-11

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या-3018/स्था०शा०/1-5(1100)/2010-11 दिनांक 26/07/2023 को संशोधित करते हुए महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-2054/50-8-10-3(42)/97 दिनांक 22.11.2010 एवं अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन गृह (पुलिस) अनुभाग-15 के शासनादेश संख्या-870/छ:- पु०-15-2024 दिनांक 22 अगस्त 2024 के क्रम में मत्स्य निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रतिषेध के सम्वन्ध में अनुश्रवण हेतु निम्न प्रकार से शिकायत समिति (कम्प्लेन्ट) का गठन किया जाता है:-

- 1- श्रीमती पूजा गौतम, सहायक निदेशक मत्स्य (7080397707) -अध्यक्ष
- 2- श्री सिद्ध राम यादव, सहायक निदेशक मत्स्य (9260995727) सदस्य
- 3- श्रीमती नीलम पाण्डेय, प्रशासनिक अधिकारी मुख्यालय (9454552361) सदस्य संयोजक
- 4- श्रीमती रेखा, प्रधान सहायक, मुख्यालय (9559139656) सदस्य
- 5-(नाम से) सचिव सुरक्षा दहेज मांग विरोध संख्या, 240 चन्द्रलोक, कपूरथला अलीगंज लखनऊ -गैर सरकारी संस्था सदस्य

उक्त समिति महिलाओं से प्राप्त उत्पीड़न सम्वन्धी शिकायतों का अनुश्रवण करेगी एवं अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।
fisheries.mpr@gmail.com

Signed by

Noorus Saboor Rehmani

Date: 05-09-2024 11:39:11
(नूरुसबूर रहमानी)

निदेशक

3174

संख्या:- स्था० शा०/1-5(100)/2010-11, उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि मन्त्रालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- श्रीमती पूजा गौतम, सहायक निदेशक मत्स्य
- 2- श्री सिद्ध राम यादव, सहायक निदेशक मत्स्य
- 3- श्रीमती नीलम पाण्डेय, प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय

- 4- श्रीमती रेखा, प्रधान सहायक, मुख्यालय
- 5- (नाम से) सचिव, सुरक्षा दहेज मांग विरोध संख्या, 240 चन्दलोक, कपूरथला अलीगंज लखनऊ।
- 6- अपर मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन गृह (पुलिस) अनुभाग-15
- 7- प्रमुख सचिव मत्स्य विभाग 30 प्र0 शासन लखनऊ
- 8- निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग इन्दिरा भवन लखनऊ
- 9- वैयक्तिक सहायक, निदेशक मत्स्य, 30प्र0 लखनऊ